

प्रथम सूचना रिपोर्ट

1. जिला गुडगांव थाना एस.वी.बी वर्ष 2016 प्र.सू.रि.स 24 दिनांक 14.12.2016

2. अधिनियम पी0सी0 एक्ट 49/1988 धाराएं 7 पी0सी0 एक्ट

अन्य अधिनियम एवं धाराएं - - - - -

(क) घटना का दिन बुधवार दिनांक से दिनांक 14.12.2016

(ख) थाने पर प्राप्त सूचना दिनांक 14.12.2016 समय 2:30 पी.एम.

(ग) (रोजनामचा संदर्भ) (प्राविष्टि संख्या) 10 समय 2:40 पी.एम.

4. (सूचना कैसे प्राप्त हुई) बजरिया स्पेशल मैसेंजर (लिखित/मौखिक) : लिखित

5. घटना स्थान का ब्यौरा (क) (थाने से दिशा एवं दूरी) उत्तर- पूर्व लगभग 6 कि0मी0

(ख) पता : हाउसिंग बोर्ड(हरियाणा) गुडगांव

(ग) (यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस) (उस थाने का नाम)- सुशान्त लोक गुडगांव

6. (शिकायतकर्ता/इतला देने वाला) :-

(क) नाम : कृष्ण लाल मलिक (ख) (पिता/पति का नाम) श्री रिशाल सिंह

(ग) (जन्म तिथि) (घ) (राष्ट्रीयता) भारतीय

(ड) पासपोर्ट सं0

(जारी करने की तिथि) (जारी करने का स्थान)

(च) (व्यवसाय) (पता) हाउस नं0 258/सैक्टर 4 रोहतक

7. (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण)

1. रघुवीर सिंह,

2. Estate manager, Housing Board Haryana Gurgaon

इस समय एक तहरीर हिन्दी हस्ताक्षरी निरीक्षक सत्य प्रकाश SVB गुडगांव बदस्त EHC रंगराज नं0 88/गुडगांव बराये कायमी मुकदमा थाना मे प्राप्त हुई। जिसका विषय इस प्रकार से है, " सेवा मे उप अधीक्षक विजिलेंस राज्य चौकसी ब्यूरो गुडगांव श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैने और मेरे बेटे ने हाउसिंग बोर्ड हरियाणा में जी.पी.ए से फ़ैल्ट खरीदे थे जिनका POSSOSSION JULY 2016 में लेने के लिए Estate Manager श्री रघुवीर सिंह गुडगांव से सम्पर्क किया था POSSOSSION के लिए सभी कागजात जुलाई 2016 मे हाउसिंग बोर्ड आफिस में जमा कर दिए थे। लेकिन

Estate Manager किसी ना कसी बहाने तंग करता रहा और चार महीने तक चक्कर लगवाने के बाद Possession दिना तथा उन्होंने Head office Panchkula के नाम से 5000/- की मांग की जो मैं नहीं देना चाहता इसलिए Estate Manager Houssingh Board Haryana Gurgaon के खिलाफ कार्यवाही की जाए इनसे मेरी पहले की कोई रजिस नहीं है। व कोई लेनदेन नहीं है। हस्ता अग्नेजी कृष्ण लाल मलिक पुत्र श्री रिसाल सिंह मकान नं0 258 सैक्टर-4 रोहतक मोबाईल नं0 9466832121 दिनांक 14.12.2016. कार्यवाही पुलिस- आज मन निरीक्षक हाजिर थाना मुदई श्री कृष्ण लाल मलिक ने एक दखास्त मार्क शुदा उप पुलिस अधीक्षक सहाब बावत भष्टाचार के सम्बन्ध मे मन निरीक्षक को पेश कि जो मजबुन दखास्त जुर्म जेलधारा 7 PC ACT का सरजद होना पाया गया। जाकर मन निरीक्षक ने एक रेडिंग पार्टी जिसमें उप निरीक्षक रामानन्द 1/41 EASI रामपाल 1550/गुडगांव EASI सुरेन्द्र सिंह 2607/फरीदाबाद EHC रंगराज 88/गुडगांव SI प्रकाश चन्द 258/एच शामिल करके मन निरीक्षक ने मय मुदई मय पार्टी मय वा सवारी सरकारी गाडी HR-3K-1781 चालक EHC सुरेन्द्र सिंह के बराये लेने अनुमति रेड व नियुक्त ड्युटी मजिस्ट्रेट खाना उपायुक्त कार्यालय का होता हूँ। तहरीर हजा बराये कायमी मुकदमा वदस्त EHC रंगराज 88/गुडगांव अरसाल थाना है। वाद कायमी मुकदमा नं0 पर्चा से सुचित किया जावे स्पेशल रिपोर्ट बजारिया स्पेशल वाहक द्वारा अफसरान बाला व इलाका मजिस्ट्रेट को भिजवाई जावें। हस्ता हिन्दी निरीक्षक सत्य प्रकाश, SVB गुडगांव dt 14-12-2016 at 02:25 PM" अज थाना- आमदा तहरीर पर मुकदमा हजा बा जुर्म मजकूर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रथम सुचना रिपोर्ट की पांच प्रतियां बजरिया कार्बन एक ही समय में चाक की गई, जो सेवा में अफसरानबाला व ईलाका मजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाएगी। एक पर्त FIR बतौर स्पेशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मजिस्ट्रेट साहब गुडगांव व S.P साहब गुडगांव व मौके पर आरिन्दा EHC रंगराज नं0 88/गुडगांव के हवाले की गई।



हस्ता हिन्दी/- सत्य प्रकाश
थाना प्रभारी का नाम
नाम : सत्य प्रकाश
पद : उप-निरीक्षक
सख्या : 131/GGN